

WITH ACCESSORIES WITHIN CANTT

em from experienced Firm/Contractor/Company for the
Board Chakrata.
per office requirement with terms and conditions can be
bsite: <https://defproc.gov.in/nicgep/app>
gibility for bidding the tender and read carefully all terms

(On ground by modern techniques) for identify
e location for borewell and drilling of Borewells and
ing and fixing submersible motor with accessories
Cantt.Board Chakrata.

ted cost: Rs. 40,00,000/- (Rs. Forty lakh)
Rs. 80,000/-Rs Eighty through echhawani portal i.e.
echhawani.gov.in

2023 to 19-07-2023 (upto 1700 Hrs) (Registration Fee:
00/- Non refundable) (Firm Registration can be done by
ing Rs. 5000/- In the Cantt. Board, Chakrata by given
ation as mentioned in tender document (annexure II)
h echhawani portal).

00 (Rupees Five Thousand)+GST (@18% extra) i.e. Rs.
including GST) will be deposited in the Cantt. Board
ata. Non refundable) through echhawani portal).

2023

2023 (from 1600 hrs.) to 20-07-2023 (upto 1200 hrs)

2023 (from 1600 hrs.) to 20-07-2023 (upto 1200 hrs)

cal:- 21-07-2023 on 1300 hrs.

Copy of all supporting Tender documents as uploaded at
ne of online bid are to be submitted in Cantt. Board,
ata on or before 21-07-2023 upto 1200 Hrs.
ial: Will be intimated letter.

les of this tender available only on the website i.e.
or updates and corrigendum please regularly visit the

(R.N. Mandal)
Chief Executive Officer
Chakrata Cantt.

भारत श्रेष्ठ भारत



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"गौरादेवी पर्यावरण भवन"
46-बी, आईटीओ पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून,
E-Mail: msukpcb@yahoo.com दूरभाष: 0135-2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री श्री शक्ति माइन्स एन्ड मिनरल्स द्वारा श्री विश्वविजय सिंह दानू पुत्र श्री किशन सिंह दानू, निवासी ग्राम कुलरंग चौरा (तोक रंग चौम), तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम कुलरंग चौरा (तोक रंग चौरा), तहसील एवं जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल-8.883 हे०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ब्लूपट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु 'पैनल' की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत है:-

1. जिलाधिकारी, जनपद बागेश्वर या उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तर अधिकारी हो- लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन 46-बी, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर (v) कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर (vi) जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर में उपलब्ध है, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ब्लूपट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

श्री श्री शक्ति माइन्स एन्ड मिनरल्स द्वारा श्री विश्वविजय सिंह दानू पुत्र श्री किशन सिंह दानू, निवासी ग्राम कुलरंग चौरा (तोक रंग चौम), तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम कुलरंग चौरा (तोक रंग चौरा), तहसील एवं जिला बागेश्वर में प्रस्तावित सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल-8.883 हे०) की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई दिनांक 02.09.2023 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजनाओं के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

पत्रांक -यूकेपीसीबी/एचओ/No-7841/312 दिनांक- 28.06.2023

सदस्य सचिव

Hindustan Times 01/7/2023

Handwritten signature and date